# आदेश

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/आवेदक के कृषि भूमि खसरा नम्बर 220/107 में आवागमन हेतु अप्रार्थी के भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.02 है. भूमि में से नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु संख्या ए से बी लम्बाई 108 मीटर लम्बाई 5.4878 मीटर कुल क्षैत्रफल 592.6824 वर्ग मीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते में रूप में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि प्रार्थी/आवेदक के भूमि खसरा नम्बर 220/107 रकबा 1.02 है. भूमि में से कम की जाकर अप्रार्थी के भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.02 है. में समायोजित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो राज्यहितो का अवलोकन करते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(डा0 सुरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
सत्यमेव जयते

(डा0 सुरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)